

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 20.02.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/48
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00047
CICOM/R/2018/00005

अपीलकर्ता : सुश्री नीरजा,
द्वारा- श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर सं. 404,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
मो0 - 9968876357.

निर्णय की तारीख : 20.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	10.01.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.02.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सी.आर.-1, सी.आर.-2 एवं डाक अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सूचना की मांग की गई थी। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है इसलिए जन सूचना अधिकारी को आर.टी.आई. ऐक्ट, 2005 की धारा 20 के तहत दंडित किया जाना चाहिए।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन में अलग अलग पता दिया गया है। साथ ही यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 27.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2018 को ही पत्र सं. 3/1/2018/Admin./CIC/ST/00005 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है जो कि बिल्कुल सही है। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल कई आर.टी.आई. आवेदनों के संदर्भ में यह भी संज्ञान में आया है कि कई आवेदन से संबंधित सूचनाएं केन्द्रीय सूचना आयोग में अवितरित वापस आ गई हैं। अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्रीमती सविता तलूजा द्वारा प्रेषित सूचना की प्रति पुनः संलग्न है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

21/02/18

